

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट
प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
- 2 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा-5(1)(ख) का प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्योत्तर) एवं 2020-21 हेतु राज्यों के लिए राजकोषीय संचय की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम 07) में संशोधन हेतु एक विधेयक।

भारत गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07,2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन करना।

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 (दो) प्रतिशत तक निम्न शर्तों के साथ सीमित रखना :-

- क. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करना
- ख. कारोबार सुगमता में सुधार
- ग. नगर निकाय सुविधा में सुधार
- घ. विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार

सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत योग के लिए प्रत्येक सुधार पर 0.25 प्रतिशत भारित है। शेष बचे 1 प्रतिशत की दो किस्तें होंगी। प्रथम 0.50 प्रतिशत तत्काल बिना शर्त के होंगे, दूसरा 0.50 प्रतिशत उपरोक्त में से कम से कम तीन सुधार के लिए होंगे।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार से अनुमत 1848.00 करोड़ रुपये खुले बाजार से अतिरिक्त विशेष आहरण उस वर्ष के निर्धारित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की सीमा से परे था ।

प्रमुख प्रतिक्रिया प्रती के प्रसार हुई 15-0505 हेतु (प्रारंभिक) 05-0105 हेतु प्रतिक्रिया
उत्तर हेतु कमीशनर प्रतिक्रिया उपलब्ध में प्रसारण के त्रिभुज कि प्रकृत त्रय कि
। कार्यकाल के त्रिभुज त्रिभुज में (05) प्रतिक्रिया तक 2005 प्रतिक्रिया त्रिभुज
उत्तर प्रसार त्रिभुज त्रिभुज के प्रसार उपलब्ध में हेतु प्रतिक्रिया के प्रसारण त्रिभुज
-> कि त्रिभुज त्रिभुज में प्रसार त्रिभुज

-> प्रसार हेतु प्रतिक्रिया प्रसार त्रिभुज

(प्रारंभिक) प्रसार उत्तर हेतु कमीशनर प्रतिक्रिया उपलब्ध प्रतिक्रिया त्रिभुज (1)
। प्रतिक्रिया तक 0505 प्रतिक्रिया

। प्रतिक्रिया में प्रसार उपलब्ध प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया त्रिभुज (2)

। प्रतिक्रिया प्रसार कि प्रतिक्रिया त्रिभुज में प्रसार प्रतिक्रिया त्रिभुज (3)

2005 प्रतिक्रिया प्रसार उत्तर हेतु कमीशनर प्रतिक्रिया उपलब्ध प्रतिक्रिया त्रिभुज 2
। प्रतिक्रिया त्रिभुज तक (05)(1) प्रसार कि (2005) प्रतिक्रिया उपलब्ध प्रतिक्रिया

प्रसार कि 2005 प्रतिक्रिया प्रसार उत्तर हेतु कमीशनर प्रतिक्रिया उपलब्ध प्रतिक्रिया त्रिभुज (i)
-> प्रसार प्रतिक्रिया त्रिभुज त्रिभुज कि प्रसार त्रिभुज कि (05)(1) प्रतिक्रिया

प्रसार प्रतिक्रिया कि प्रसार प्रतिक्रिया प्रती के 15-0505 हेतु प्रतिक्रिया
प्रसार के त्रिभुज त्रिभुज तक त्रिभुज (15) 2 त्रिभुज तक प्रसार त्रिभुज प्रसार
-> प्रसार त्रिभुज

प्रसार प्रसार कि प्रसार त्रिभुज तक प्रसार त्रिभुज तक

प्रसार प्रसार त्रिभुज प्रतिक्रिया त्रिभुज

प्रसार प्रसार त्रिभुज प्रतिक्रिया प्रसार त्रिभुज

प्रसार प्रसार त्रिभुज प्रतिक्रिया त्रिभुज

प्रतिक्रिया 05.0 प्रसार प्रतिक्रिया प्रती के प्रसार त्रिभुज त्रिभुज के प्रसार त्रिभुज प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज कि प्रतिक्रिया त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज
। प्रतिक्रिया प्रती के प्रसार त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 का सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(रवीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष
